झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 2/PMC/कार्य–142/2006– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० शिवानन्द राय,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०– हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय: सिमडेगा जिला अंतर्गत लरवा जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु रूपये 48.53 लाख (रूपये अड़तालीस लाख तिरेपन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

महाशय,

जल संसाधन विभाग के लरवा जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु रूपये 48.53 लाख (रूपये अड़तालीस लाख तिरेपन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना के असैनिक (Civil) कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल सं०–1, सिमडेगा एवं यॉत्रिक कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

3. इस पुनर्स्थापन कार्य पर होने वाला व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष के उपबंधित बजट प्रावधान के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

   (i) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय उपमुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 43–अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण।

4. इस कार्य को वर्ष 2013–14 में प्रारम्भ कर वर्ष 2014–15 में पूरा किया जाएगा।

5. इसके कार्यान्वयन् में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

6. इस योजना के पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण होने पर इस क्षेत्र के कई ग्रामों यथा: लरवा, मोगला टोली, सेमर टोली, पुरना टोली, शिवनाथपुर एवं किन्दर केला के सिंचाई योग्य भूमि में रूपांकित सिंचाई सुविधा प्रदान की जायेगी तथा 125 हे० क्षेत्र में सिंचाई पुनः स्थापित की जा सकेगी।

7. राशि का आवंटन सभी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा। यह आवंटनादेश नहीं है, इसके लिए अलग से आवंटन निर्गत किया जायगा।

9. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(शिवानन्द राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक :– 2/PMC/कार्य–142/2006– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/वित्त विभाग/योजना विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(शिवानन्द राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 2/PMC/कार्य–142/2006– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(शिवानन्द राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 2/PMC/कार्य–142/2006– 88/13-14 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 03.03.2014

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अचंल, गुमला/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई यांत्रिक अंचल, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं०–1, सिमडेगा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची/वेब सूचना प्रबधंक, जल संसाधन विभाग, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14
(शिवानन्द राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)
03/03/14